SHAKUNTALAM INSTITUTE OF TEACHERS EDUCATION

KIRHINDIH, KUMHAU STATION ROAD, SHIVSAGAR

COURSE NAME – B.Ed. 2nd YEAR **SESSION** – 20-22

SUBJECT - C-10 (Creating an Inclusive school)

TOPIC NAME – राष्ट्रीय नीतिगत दस्तावेज

DATE - 02.02.22

राष्ट्रीय नीतिगत दस्तावेज :-

⇒ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 :-

वर्ष 1986 में पहली बार दिव्यांगों की शिक्षा को महत्व दिया गया तथा इसके लिए अनेक प्रावधानों की व्यवस्था की गई। जो निम्नलिखित है –

1. दिव्यांगता अगर हाथ या पैर की है तथा मामूली सी है तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ है।
2. गम्भीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले विशेष स्कूलों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का स्कूल जहाँ तक हो सकेगा, जिला मुख्यालय में बनाए जायेंगे।

3. विकलांगों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

4. शिक्षकों को खासतौर पर प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक नया रूप दिया जाएगा। ताकि वे दिव्यांग बच्चों की कठिनाईयों को ठीक प्रकार से समझ सकें तथा उनकी सहायता कर सकें।

5. दिव्यांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जायेगा।

⇒ Programme of Action (POA) : 1992 :-

सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 में कुछ सुधार किया तथा उसके सफल क्रियान्वयन के लिए Program of Action 1992 का निर्माण किया। अक्षमता से युक्त देश के 15 मिलियन बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा संबंधी वृहत कार्य को सम्पन्न करने के लिए Program of Action में इस प्रकार के व्यवहारिक उपागम को अपनाने के लिए कहा गया है -

1. ऐसे अक्षम बच्चे जिसे सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जा सकती है, उन्हें सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए।

2. POA में दिव्यांग बालकों के लिए जल्दी से जल्दी सेवाएं प्रदान करने पर बल दिया जाए।

3. विशेष स्कूल के बच्चो का सम्प्रेषण एवं अध्ययन संबंधी कौशलो का विकास किया जाए जिसे की वे सामान्य स्कूलो में समायोजित हो सकें।

4. इस अधिनियम का उद्देश्य अक्षम व्यक्तियो की शिक्षा तथा पुर्नवास से संबंधित व्यवसायियो हेतु कम से कम कितनी योग्यता चाहिए इसका निर्धारण करना।

5. मानसिक रूप से बाधित विशिष्ट बच्चो के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम बनने चाहिए तथा उन्हे मानकीकृत करने के पश्चात् समान रूप से लागु किया जाना चाहिए।

⇒ निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) :-

अक्षम व्यक्ति अधिनियम 1995 भारतीय संसद द्वारा निर्मित अधिनियम है यह अक्षमताओ से युक्त व्यक्ति को उनकी शिक्षा समायोजन एवं कल्याण हेतु वैधानिक सहायता एवं संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त उन्हे इसके द्वारा यह कानूनी सहायता मिल सकती है। जिसे यह नियमित विद्यालयो में सामान्य छात्रो के साथ विद्यालयो की सभी गतिविधियो में ~~सामान्य छात्रो के साथ~~ अपनी पुरी भागीदारी निभाने का अधिकार रखते है। इस अधिनियम से 14 अध्यायो का समावेशन किया गया है तथा इसके अध्याय 4 तथा 5 में अक्षमताओ से युक्त बालको के हितो तथा शिक्षा का चिंतन किया गया है।

⇒ शिक्षा संबंधी प्रावधान :-

अक्षम व्यक्ति अधिनियम 1995 में शिक्षा के संदर्भ में दिये गए प्रमुख प्रावधान निम्न है —

1. यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक निःशक्त बालक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगे।

2. अक्षमता से युक्त विद्यार्थियो का समान विद्यालयो में एकीकरण के संवर्धन का प्रयास करेगे।

3. अक्षमता से युक्त बालको के लिए विशेष विद्यालयो को व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रयास करेगे।

4. ग्रामीण क्षेत्रो में उपलब्ध जन शक्ति का उपयोग करके उन्हे समुचित शिक्षा देने के बाद अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

5. खुले विद्यालयो तथा खुले विश्व विद्यालयो के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

6. प्रत्येक निःशक्त बालक की शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तको तथा उपकरणों की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी।

7. निःशक्त विद्यार्थियो को छात्रवृति की सुविधा दी जायेगी।

8. छात्रो के पुर्नवास एवं माता-पिता की शिकायतो को दूर करने के लिए मंच की व्यवस्था की जायेगी।